

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 107/2017

दायर दिनांक: 14.07.2017

उनवान

1. कृष्णगोपाल आयु 62 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी ।
2. रामचन्द्र आयु 60 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी ।
3. रामरतन आयु 57 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी ।
4. मुकुटबिहारी आयु 55 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी निवासीगण मोठपुर तह० अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. गोरीशंकर आयु 65 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी निवासी मोठपूर पो० मोठपुर तह० अटरू जिला बारां राज० ।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०) ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर ।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव ।

निर्णय

दिनांक 09/02/2022

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित । प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह दावा अन्तर्गत धारा 53 आर० टी० एक्ट० राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 152 का ख०नं० 133 का रकबा 3.37 है० ख०नं० 141 का रकबा 1.45 है० ख०नं० 828 का रकबा 0.57 है० ख०नं० 834 का रकबा 0.16 है० ख०नं० 836 का रकबा 0.60 है० ख०नं० 837 का रकबा 0.06 है० कुल कित्ता 6 का रकबा 6.21 है० का तहसीलदार अटरू से निर्णय दिनांक 14.01.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था । उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/1591 दिनांक 13.09.2021 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया । जिससे अभिभाषक वादीगण सहमत है ।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2021 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम मोठपुर के खाता संख्या 152 की कुल कित्ता-6 कुल रकबा 6.

21 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी का हि0 1/5 -1/5 अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार पेश किया है। जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
1.	वादी क्रम 1 कृष्णगोपाल पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि0	0.67 है0	माल-1	8.04
		141 मि0	0.29 है0	माल-1	3.48
		828 मि0	0.25 है0	चाही-1	9.25
		कुल किता 3	1.21 है0	-	20.77

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
2.	प्रतिवादी क्रम 1 गोरीशंकर पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि0	0.67 है0	माल-1	8.04
		141 मि0	0.29 है0	माल-1	3.48
		828 मि0	0.25 है0	चाही-1	9.25
		कुल किता 3	1.21 है0	-	20.77

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
3.	वादी क्रम 4 मुकुटबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि0	0.68 है0	माल-1	8.16
		141 मि0	0.29 है0	माल-1	3.48
		834 मि0	0.05 है0	चाही-1	1.85
		836 मि0	0.20 है0	चाही-1	7.40
	कुल खसरा	कुल किता 4	1.22 है0	-	20.89

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
4.	वादी क्रम 2 रामचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि0	0.68 है0	माल-1	8.16
		141 मि0	0.29 है0	माल-1	3.48
		834 मि0	0.05 है0	चाही-1	1.85
		836 मि0	0.20 है0	चाही-1	7.40
		कुल किता 4	1.22 है0	-	20.89

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
5.	वादी क्रम 3 रामरतन पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि0	0.67 है0	माल-1	8.04
		141 मि0	0.29 है0	माल-1	3.48
		834 मि0	0.06 है0	चाही-1	2.22
		836 मि0	0.20 है0	चाही-1	7.40
		कुल किता 4	1.22 है0	-	21.14

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
6.	वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 गोरीशंकर, कृष्णगोपाल, रामचन्द्र, रामरतन, मुकुटबिहारी पुत्रान कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	837 828 मि0	0.06 है0 0.07 है0	गै0मु0 चाह चाही-1	- 2.59
		कुल किता 2	0.13 है0	-	2.59

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक््री मुकदमा इबतदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 107/2017

उनवान

1. कृष्णगोपाल आयु 62 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी।
2. रामचन्द्र आयु 60 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी।
3. रामरतन आयु 57 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी।
4. मुकुटबिहारी आयु 55 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी निवासीगण मोठपुर तह० अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. गोरीशंकर आयु 65 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी निवासी मोठपूर पो० मोठपुर तह० अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक््री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 152 का ख0नं0 133 का रकबा 3.37 है० ख0नं0 141 का रकबा 1.45 है० ख0नं० 828 का रकबा 0.57 है० ख0नं0 834 का रकबा 0.16 है0 ख0नं0 836 का रकबा 0.60 है0 ख0नं0 837 का रकबा 0.06 है0 कुल कित्ता 6 का रकबा 6.21 है0 में हि0 1/5 -1/5 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
1.	वादी क्रम 1 कृष्णगोपाल पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि0	0.67 है0	माल-1	8.04
		141 मि0	0.29 है0	माल-1	3.48
		828 मि0	0.25 है0	चाही-1	9.25
	कुल कित्ता 3	1.21 है0	-	20.77	

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
2.	प्रतिवादी क्रम 1 गोरीशंकर पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि0	0.67 है0	माल-1	8.04
		141 मि0	0.29 है0	माल-1	3.48
		828 मि0	0.25 है0	चाही-1	9.25
	कुल कित्ता 3	1.21 है0	-	20.77	

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
3.	वादी क्रम 4 मुकुटबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि0	0.68 है0	माल-1	8.16
		141 मि0	0.29 है0	माल-1 चाही-1	3.48
		834 मि0	0.05 है0	चाही-1	1.85

		836 मि०	0.20 है०		7.40
	कुल खसरा	कुल किता 4	1.22 है०	—	20.89

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
4.	वादी क्रम 2 रामचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि०	0.68 है०	माल-1	8.16
		141 मि०	0.29 है०	माल-1 चाही-1	3.48
		834 मि०	0.05 है०	चाही-1	1.85
		836 मि०	0.20 है०		7.40
		कुल किता 4	1.22 है०	—	20.89

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
5.	वादी क्रम 3 रामरतन पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी सा. देह खातेदार का हिस्सा	133 मि०	0.67 है०	माल-1	8.04
		141 मि०	0.29 है०	माल-1 चाही-1	3.48
		834 मि०	0.06 है०	चाही-1	2.22
		836 मि०	0.20 है०		7.40
		कुल किता 4	1.22 है०	—	21.14

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
6.	वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 गोरीशंकर, कृष्णगोपाल, रामचन्द्र, रामरतन, मुकुटबिहारी पुत्रान कन्हैयालाल जाति काछी सा.देह खातेदार का हिस्सा	837	0.06 है०	गै०मु० चाह	—
		828 मि०	0.07 है०	चाही-1	2.59
		कुल किता 2	0.13 है०	—	2.59

तहसीलदार अट्रू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अट्रू जिला बारां (राज०)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.02.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अट्रू जिला बारां (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत०
महन्ताना वकील	मुत०	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अट्रू जिला बारां (राज०)